410 प्र/निगरानी/शहडोल/2018/211

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा (म.प्र.)

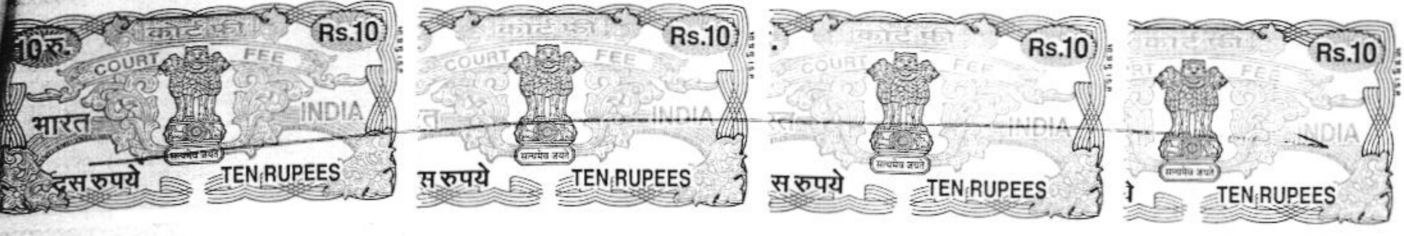

मोहम्मद अतीक आयु 42 वर्ष, आत्मज अहमदुल्ला,
निवासी ग्राम – मैकी, थाना सोहागपुर तहसील सोहागपुर
जिला शहडोल (म0प्र0) — निगरानीकर्ता

RS 301

प्रति

1– पूरा नायक आत्मज मोती नायक
2– दयाराम नायक आत्मज कृष्णा नायक
3– श्रीमती जमुलिहा पत्नी नेवला नायक
सभी निवासी ग्राम – मैकी, थाना सोहागपुर तहसील सोहागपुर
जिला शहडोल (म0प्र0) — उत्तरार्थीगण

द्वारा श्री राजेश कुमार तिवारी
दिनांक 01-01-18

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व आदेश श्रीमान कलेक्टर महोदय शहडोल जिला शहडोल के द्वारा राजस्व प्र0क्र0 05/निगरानी/2016–17 पूरा नायक एवं अन्य बनाम मो0 अतीक में पारित आदेश दिनांक 28–01–2017 के विरूद्व.
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता.

मान्यवर,

निगरानीकर्ता के द्वारा निम्नलिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है:–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य

1– संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरार्थीगण ने कलेक्टर शहडोल के समक्ष एक पुनरीक्षण के रूप में पुनरीक्षण याचिका इस बावत् प्रस्तुत किया कि तहसीलदार सोहागपुर के द्वारा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 56/अ–19/(4)/1983–84 में पारित आदेश दिनांक 11.08.1986 के द्वारा ग्राम मैकी स्थित भूमि ग्राम मैकी की आराजी खसरा नम्बर 807 रकवा 0.45 एकड़ का व्यवस्थापन जो कि सिद्धार्थ कुमार मिश्रा आत्मज उपेन्द्र प्रसाद मिश्रा निवासी सोहागपुर जिला शहडोल के पक्ष में पारित किया गया था, को चुनौति दिया गया जिसे कि प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया था, निगरानीकर्ता मो0 अतीक को सिद्धार्थ कुमार मिश्रा ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16.03.2004 को करते हुए कब्जा दखल सौंप दिया था, जिस पर निगरानीकर्ता काबिज होकर खेती करते चले आ रहा था। वर्ष 2014 में व्यवस्थापन को चुनौति देते हुए पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किया, जिसमें निगरानीकर्ता उपस्थित हुआ प्रकरण में कलेक्टर शहडोल ने ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निग./शहडोल/2018/211 जिला-शहडोल

मोहम्मद अतीक विरूद्ध पूरा नायक आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अनूप देव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक-05/निग./2016-17 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 28-01-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-01-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जांये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
22/01/19